न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्याः 03/2019

GCMS No. : 2019/00246

अपीलान्ट्स	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट्स्**
1. अर्जुनसिंह पुत्र गंगासिंह 2. पृथ्वीसिंह पुत्र गंगासिंह 3. भंवरकंवर बेवा गंगासिंह सभी जातियान– राजपूत निवासी– राबड़ियावास तहसील–जैतारण जिला– पाली		1. भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह जाति– राजपूत निवासी– राबड़ियावास तहसील–जैतारण जिला– पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत राबड़ीयावास तहसील जैतारण, पाली

राजस्व अपील धारा–75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत राबड़ीयावास दिनांक 15.12.1974 नामान्तरण संख्या 251 को निरस्त करने बाबत्।

तारीख रजू:.20/06/2019

उपस्थितः–

1. श्री चुतराराम भाटी, जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, अपीलान्ट्स।
2. श्री महावीर सिंह उदावत, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स।

–:: निर्णयः–

दिनॉकः 28/07/2022

वकील मय अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा –75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध रेस्पोडेन्टस् इस आशय की पेश की हैं कि सरहद मौजा राबड़ियावास में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस् संख्या एक की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन निम्न लिखित खसरान् की आई हुई है :– खसरा नम्बर 200 रकबा 10–10 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 201 रकबा 00–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 546 रकबा 70–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 541 रकबा 01–06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 505/मी रकबा 05–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 508/मी रकबा 110–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 504/मी रकबा 33–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 506 रकबा 00–03 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 507 रकबा 00–02 बीघा किस्म गै0मु0 कुल खसरा 09 कुल रकबा 240–16 बीघा आई है। उपरोक्त खसरान की भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पूर्वजों के आपसी बंटवाड़ा दिनांक 15.12.1974 को प्राप्त हुई तब से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या एक आपस में संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं। वंशावली अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या एक भंवरसिंह पढ़ा लिखा व घर में बड़ा होने से घर का मुख्या था तथा कर्ताधर्ता भंवरसिंह थे अपीलान्ट केवल मात्र खेती करते है। अपीलान्ट संख्या दो पृथ्वीसिंह एक पैर से विकलांग है व अपीलान्ट संख्या तीन भंवरकंवर का एक पुत्र पदमसिंह था जो अविवाहित फौत हो चुका था। जिसका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1026 दिनांक [illegible] 1992 को सम्वत् 2053 से 2056 की जमाबन्दी में दर्ज है अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम भरा गया तब से लगातार इनका कब्जा व काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट संख्या एक व दो व रेस्पोडेन्ट संख्यां एक के पिता व अपीलान्ट संख्या 3 के पति फौत होने पर दिनांक 04.06.1993 को नामान्तरकरण संख्या 827 [illegible] जरिये अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

संख्या एक भंवरसिंह का नाम बतौर उत्तराधिकारी के फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 827 के जरिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया नामान्तरण संख्या 251 को रद्द करने की अपील निम्न आधारों पर पेश है क्योंकि पैतृक पुश्तैनी जमीन खसरा नम्बर 546 व 200 का नामान्तरकरण अकेले रेस्पोडेन्ट के नाम भर दिया इसलिये अपील पेश की जा रही है जिसके आधार निम्न प्रकार से है :- अपीलान्ट के संयुक्त परिवार में रेस्पोडेन्ट पढ़ा. लिखा व घर में बड़ा होने. से. घर का मुख्या कर्ता धर्ता होने से खसरा संख्या 546 रकबा 70 बीघा जमीन अपने अकेले के नाम व खसरा नम्बर 200 रकबा 19-10 बीघा में से 1/2 हिस्सा नामान्तरण संख्या 251 के जरिये दिनांक 15.12.1974 को यानि जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 में राजस्व रेकर्ड में अपने अकेले का नाम दर्ज करवा दिया जो सरासर गलत व विधि विरूद्ध है बकाया जमीन में खसरा नम्बर 201, 504, 505, 506, 507, 508 व 541 रकबा 151-13 बीघा में भी बतौर गंगासिंह जी के पुत्र उत्तराधिकारी से 1/4 हिस्से में राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवा दिया जो आज तक रेस्पोडेन्ट का नाम चल रहा जो विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है। अपीलान्ट संख्या 01 व 02 दिनांक 15.12.1974 को नाबालिग थे जब रेस्पोडेन्ट ने खसरा नम्बर 546 पुरे में व खसरा नम्बर 200 के 1/2 हिस्से में अपने अकेले का नाम दर्ज करवाया उस वक्त अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी और इनकी माता अपीलान्ट संख्या तीन अनपढ़ वृद्ध महिला होने से जानकारी नहीं थी रेस्पोडेन्ट ने बाले बाले अपने निजी फायदा के लिये पटवारी, सरपंच व भू निरीक्षक से मिलकर खसरा नम्बर 546 में व खसरा नम्बर 200 के 1/2 हिस्से में नाम दर्ज करवा दिया जो सेट एसाईड किया जाना जरूरी होने से न्याय के नैषर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से रद्द होने योग्य होने से रद्द किया जाना जरूरी है। खसरा नम्बर 546 व 200 पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक अकेले का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या एक का बहिस्सा बराबर आता है उक्त दोनों खसरान् के अलावा बकाया जमीन जो अपील के पद संख्या एक में बताई गई भूमि में भी रेस्पोडेन्ट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार की हैसियत से 1/4 हिस्से अनुसार चल रहा है। इसलिये नामान्तरण संख्या 251 विधि विरूद्ध बाले बाले अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में सरपंच राबड़ियावास ने दिनांक 15.12.1974 को बिना जांच किये स्वीकृत किया है जिसको रद्द किया जाना जरूरी है। खसरां नम्बर 546 व खसरा नम्बर 200 में रेस्पोडेन्ट द्वारा कभी भी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में दखल नहीं करनें से अपीलान्ट शांति पूर्वक काश्त करते आ रहे है। खसरा नम्बर 546 डामर रोड़ पर टोलटैक्स के पास आई हुई होने से रेस्पोडेन्ट की नियत में फर्क आ गया क्योंकि उक्त भूमि सड़क किनारे होने से कीमत में महंगी है। इसलिये दिनांक 15.05.2019 को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को ऐलानिया धमकी दी है कि खसरा नम्बर 546 की भूमि पर इस वर्ष काश्त नहीं करनें दुंगा क्योंकि उक्त भूमि मेरे अकेले के नाम की है तब अपीलान्ट को सर्व प्रथम राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज रेस्पोडेन्ट के नाम का होने का ज्ञान हुआ फिर अपीलान्ट ने जमाबन्दी व नामान्तरण की नकले निकवाई तो सम्पूर्ण जानकारी हुई इसलिय यदि खसरा नम्बर 546 व 200 में रेस्पोडेन्ट का नाम बकाया रह जाता है तो अपीलान्ट अपने हक अधिकारों से वंचित रह जायेगा इसलिये दिनांक 15.12.1974 को भरा गया नामान्तरकरण संख्या 251 को रद्छ किया जाना जरूरी है। यदि उद्यक्त नामान्तरकरण रद्द नहीं हुआ तो मौके पर गलत इन्द्राज के आधार पर लड़ाई झगड़ा होगा जिससे अपीलान्ट जेर बार हो जायेगें जिसकी क्षतिपूर्ति रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

संख्या एक किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेंगे। रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने खसरा नम्बर 546 से 05 बीघा जमीन का बैचान सुमेरसिंह खींची पुत्र लक्ष्मणसिंह कोम राजपूत निवासी लीलिया तहसील– मेड़तासिटी वाला को बैचान कर रजिस्ट्री करवा दी जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की नकल साथ पेश है रेस्पोडेन्ट संख्या एक का नाम राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 546 में अकेले का गलत होने से उक्त भूमि का बैचान बख्शीश, रहन, वसीयत करनें पर आमादा है इसलिये जब तक नामान्तरण संख्या 251 रद्द नहीं हो जाता है तब तक रेस्पोडेन्ट को खसरा नम्बर 546 का बैचान, बख्शीश, रहन, वसीयत करनें से रोका जाना जरूरी है। नामान्तरण संख्या 251 दिनांक 15.12.1974 को गलत भरा गया जो खारिज होने योग्य होने से और अपीलान्ट को उक्त गलत भरा गया नामान्तरण का अब ज्ञान होने से दिनांक 15.12.1974 से दिनांक 05.05.2019 तक समय को डिले कन्डोन फरमाया जावे। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 251 दिनांक 15.12.1974 को रद्द किया जावे मृतक गंगासिंह के सभी उत्तराधिकारियों बाबत् जांच कर नामान्तरकरण भरा जाने का आदेश फरमावें।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। हमनें उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः–

1. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत राबड़ियावास बाबत् नामान्तरण संख्या 251 दिनांक 15.12.1974 को निरस्त करने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राबड़ियावास में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 200 रकबा 10–10 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 201 रकबा 00–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 546 रकबा 70–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 541 रकबा 01–06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 505/मी रकबा 05–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 508/मी रकबा 110–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 504/मी रकबा 33–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 506 रकबा 00–03 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 507 रकबा 00–02 बीघा किस्म गै0मु0 कुल खसरा 09 कुल रकबा 240–16 बीघा अपीलांट व रेस्पोर्डेट संख्या 01 की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। अपीलांट अर्जुनसिंह, पृथ्वीसिंह रेस्पोर्डेट भंवरसिंह परस्पर भाई है तथा पिता गंगासिंह एवं माता अपीलांट भंवरकंवर की संतान है। गंगासिंह का अन्य पुत्र पदमसिंह अविवाहित फौत हो चूका है जिसका फौतेदगी नामान्तरण संख्या 1026 दिनांक 13.11.1992 को भरा गया। रेस्पोर्डेट संख्या 01 द्वारा घर का मुख्य कर्ता धर्ता होने से खसरा संख्या 546 रकबा 70–00 बीघा जमीन सम्पूर्ण हिस्सा तथा खसरा संख्या 200 रकबा 19–10 बीघा में से 1/2 हिस्सा नामान्तरण संख्या 251 दिनांक 15.12.1974 द्वारा अपने पक्ष में स्वीकृत करवाया [illegible] जो विधिविरूद्ध है तथा बकाया जमीन खसरा संख्या 201, 504, 506, 507, [illegible] 541 रकबा 151–13 बीघा में भी गंगासिंह उम्मेदसिंह जी के उत्तराधिकारी के रूप में 1/4 हिस्से में नाम दर्ज करवा दिया जो वर्तमान में भी चल रहा है, जो विधिविरूद्ध होने से काबिल खारिज है। अपीलांट संख्या 01 व 02 तत्समय नाबालिग थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

2. पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख जमाबंदी ग्राम राबड़ियावास संवत् 2020 से 2023, संवत् 2024 से 2027, संवत् 2028 से 2031 तथा संवत् 2032 से 2035 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गंगासिंह पुत्र विशनसिंह बतौर सहखातेदार दर्ज है। ग्राम राबड़ियावास की नामान्तरण पंजिका के नामान्तरण संख्या 251 के अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम राबड़ियावास के खसरा नम्बर 200 रकबा 10-10 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 201 रकबा 00-11 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 546 रकबा 70-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 541 रकबा 01-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 505/मी रकबा 05-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 508/मी रकबा 110-12 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 504/मी रकबा 33-11 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 506 रकबा 00-03 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 507 रकबा 00-02 बीघा किस्म गै0मु0 कुल खसरा 09 कुल रकबा 240-16 बीघा में से खसरा संख्या 546 रकबा 70-00 बीघा गंगासिंह पुत्र विशनसिंह के स्थान पर भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह तथा खसरा संख्या 200 रकबा 10-10 बीघा गंगासिंह पुत्र विशनसिंह के स्थान पर गंगासिंह पुत्र विशनसिंह हिस्सा 1/2 तथा भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह हिस्सा 1/2 दर्ज किया गया, नामान्तरण पंजिका के कॉलम संख्या 14 में पारिवारिक प्रबन्ध के स्टाम्प पर तहसीलदार साहब द्वारा आदेश होने से भरा गया का अंकन है तथा कॉलम संख्या 16 में नामान्तरण सर्वसम्मति से मंजूर किया जाता है का अंकन करते हुए मूलसिंह सरपंच ग्राम पंचायत राबड़ियावास के हस्ताक्षर व पद व कार्यालय की मोहर अंकित है।

3. अव्वल तो नामान्तरण की कार्यवाही ग्राम पंचायत को प्राप्त है न कि सरपंच को। नामान्तरण पंजिका पटवारी द्वारा विचारार्थ ग्राम पंचायत कॉरम के समक्ष रखा जाता है जिसे ग्राम पंचायत कॉरम द्वारा बहुमत से स्वीकृत किए जाने पर ग्राम पंचायत के कार्यवाही विवरण में प्रस्ताव सहित पारित किया जाता है तथा ऐसे प्रस्ताव संख्या व पारित किये जाने की दिनांक के अंकन के साथ सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नामान्तरण पंजिका में नामान्तरण स्वीकृति के नोट के साथ हस्ताक्षर किए जाते है। हस्तगत प्रकरण में ऐसे किसी अंकन का अभाव है लिहाजा सरपंच, ग्राम पंचायत राबड़ियावास द्वारा प्रक्रिया का सुसंगत अनुशीलन नही करने से प्रश्नगत नामान्तरण कार्यवाही को वैद्य रूप से स्वीकृत कार्यवाही नही माना जा सकता, दोयम किसी पारिवारिक प्रबन्ध आदि के आधार पर ग्राम पंचायत को सीधे ही नामान्तरण स्वीकृत करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा न तो ऐसा कोई पारिवारिक प्रबन्ध प्रस्तुत किया गया है तथा न ही पैतृक आराजी को बिना सक्षम आदेश के अन्य हकदारो के अधिकारो को अनदेखा करते हुए किसी पारिवारिक प्रबन्ध या पारिवारिक बंटवाड़ा आदि के आधार पर अनदेखा किया जा सकता है। कोई भी बंटवाड़ा/पारिवारिक प्रबन्ध यदि सहमति से होता है तो इसे संबंधित समस्त पक्षकारान् द्वारा तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर लिखित में निष्पादित करना होता है तथा ऐसे निष्पादित विलेख को तहसीलदार द्वारा लिखित आदेश में स्वीकार किये जाने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा ही नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में ऐसी किसी कार्यवाही का अंकन नहीं पाया गया है लिहाजा हमारे विनम्र अभिमत में सरपंच, ग्राम पंचायत राबड़ियावास द्वारा दिनांक 15.12.1974 को स्वीकृत नामान्तरण संख्या 251 क्षेत्राधिकार से परे होने, सरपंच द्वारा विधिक प्रक्रिया का समुचित रूप से अनुशीलन नही करने तथा किसी सक्षम आदेश के अभाव के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बावजूद भू अभिलेख में नामान्तरण संख्या 251 की प्रविष्टिया कर देने से प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 251 विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए सरपंच, ग्राम पंचायत राबड़ियावास द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 251 दिनांक 15.12.1974 को अपास्त करते हुए उक्त नामान्तरण के आधार पर भू अभिलेख में दर्ज की गई समस्त प्रविष्टियो को विलोपित करते हुए तहसीलदा जैतारण को नामान्तरण बाबत् कार्यवाही हेतू निर्देशित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार की जाती है। ग्राम राबड़ियावास के खसरा संख्या 546 रकबा 70–00 बीघा तथा खसरा संख्या 200 रकबा 10–10 बीघा के संबंध में सरपंच, ग्राम पंचायत राबड़ियावास द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 251 दिनांक 15.12.1974 विधि विरूद्ध होनें तथा प्रक्रियागत त्रुटि पूर्ण होनें से अपास्त किया जाता है। उक्त नामान्तरंण के आधार पर भू अभिलेखं में की गई समस्त प्रविष्टियां विलोपित की जावे। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम राबड़ियावास की खसरा संख्या 546 रकबा 70–00 बीघा तथा खसरा संख्या 200 रकबा 10–10 बीघा के खातेदार गंगासिंह पुत्र विशनसिंह के विधिक वारिसान की समुचित जांच करते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में विहित विधिक प्रावधानानुसार नामान्तरण की कार्यवाही करे। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण (जिला–पाली)।

निर्णय आज दिनांक 28/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण (जिला–पाली)।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:39 IST
Reason: SelfAttested